तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
16/9/25	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा [illegible] का स्थगन रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि. 07/10/25 को पेश हो।
07/10/25	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन [illegible] सा. रखा गया। अतः [illegible] के समक्ष [illegible] 11/11/25 को पेश हो।
	11/11/25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान हाजिर पीठासीन अधिकारी [illegible] में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते [illegible] दिनांक 3/2/26 को पेश हो।
	C.NO. 154/2025 अवान गोविंद [illegible]
03/2/26	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप। अप्रार्थी 01 से 10 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है अप्रार्थी 01 से 10 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है वकील प्रार्थी की प्रा० पत्र धारा 212 RTA० पर बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है विस्तृत आदेश पृथक से तैयार कर पत्रावली में शा.। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरान कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 152/2025

1. गोविन्द त्यागी पुत्र बिशनदास, जाति–वैष्णव, उम्र–बालिग
2. गणपत त्यागी पुत्र बिशनदास, जाति–वैष्णव, उम्र–बालिग
3. सायरी उर्फ शान्ति पत्नी बिशनदास, जाति–वैष्णव, उम्र–बालिग, समस्त निवासीगण ग्राम सरगांव, तहसील–किशनगढ़, जिला–अजमेर।

–: प्रार्थीगण

बनाम

1. राजु पुत्र सरदार जाति–गुर्जर, उम्र–बालिग निवासी सरगांव, तहसील–किशनगढ़, जिला–अजमेर।
2. किशन पुत्र ज्वारा, जाति–गुर्जर, उम्र–बालिग, निवासी रामपुरा की ढाणी, ग्राम सरगांव, तहसील–किशनगढ़, जिला–अजमेर।
3. जग्गा पुत्र छीतर, जाति–गुर्जर, निवासी रामपुरा की ढ़ाणी, ग्राम सरगांव, तहसील–किशनगढ़, जिला–अजमेर।
4. चन्द्रा पुत्र छोटू, जाति–गुर्जर, उम्र–बालिग, निवासी रामपुरा की ढ़ाणी, ग्राम सरगांव, तहसील–किशनगढ़, जिला–अजमेर।
5. रामदेव पुत्र मंगला, जाति–गुर्जर, निवासी–रापुरा की ढ़ाणी, ग्राम सरगांव, तहसील–किशनगढ़, जिला–अजमेर।
6. रामकरण पुत्र हिन्दू, जाति–गुर्जर, उम्र–बालिग, निवासी रामपुरा की ढ़ाणी, सरगांव, तहसील–किशनगढ़, जिला–अजमेर।
7. हरचन्द पुत्र नाथू, जाति–गुर्जर, निवासी–सरगांव, तहसील–किशनगढ़, जिला–अजमेर।
8. बागा पुत्र छोटू, जाति–गुर्जर, निवासी–सरगांव, तहसील–किशनगढ़, जिला–अजमेर।
9. जयराम गुर्जर पुत्र ज्वारा गुर्जर, निवासी ग्राम सरगांव, तहसील–किशनगढ़, जिला–अजमेर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़।

–: अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि.

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री इन्द्रेश कुमार व भवानी सिंह

निर्णय दिनांक 03.02.2026

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि जरिये अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92–ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थीगण के पिता बिशनदास पुत्र मोतीराम थे जिनका दिनांक 04.12.1982 को देहावसान हो चुका है एवं प्रार्थीगण के अतिरिक्त उनके अन्य कोई हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिस उत्तराधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण के पिता बिशनदास पुत्र मोतीराम को ग्राम सरगांव की कृषि भूमि खसरा संख्या 1301 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा संख्या 337 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा दिनांक 14.07.1961 को आवंटित की गई थी। उपरोक्त प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 3 में आवंटित भूमि के नये खसरा संख्या 539/1 मिन मूर्तिब होकर उपरोक्त दिनांक 14.07.1961 के आवंटन के अनुक्रम में अन्य भूमि के साथ इसका नामान्तरण संख्या 230 दिनांक 06.04.1968/30.08.1968 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया था। प्रार्थीगण के पिता आवंटन पश्चात् उपरोक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते रहे थे एवं उनके देहावसान पश्चात् वादीगण उपरोक्त भूमि पर काश्त करते–कराते आ रहे हैं। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 4 में वर्णित नामान्तरण दर्ज होने के कुछ अवधि पश्चात् किशनगढ़ में भू–संशोधन प्रभावी हो गया था एवं भू–संशोधन दौरान प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु होने से उपरोक्त आवंटन तथा नामान्तरण की गैर खातेदारी से पश्चात्वर्ती राजस्व रिकार्ड में

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

खातेदारी का अमल दरामद नहीं होकर राजस्व अधिकारियों ने सहवन से नामान्तरण संख्या 230 दिनांक 30.08.1968 को नजरअंदाज करते हुए उपरोक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर दी। जिसके वर्तमान खसरा संख्या 393/12 रकबा 3.4544 हैक्टेयर है। प्रार्थी संख्या 1 द्वारा तहसीलदार किशनगढ़ के समक्ष उपरोक्त प्रार्थीगण के पिता/पति के नाम दिनांक 14.07.1961 के आवंटन के आधार पर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अमल दरामद किये जाने बाबत् दिनांक 20.02.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार भू–अभिलेख किशनगढ़ द्वारा पटवारी हल्का सरगांव को जांच के लिए भिजवाया, तो पटवारी हल्का सरगांव ने मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों के बयान आदि जांच कर उपरोक्त आवंटित भूमि के वर्तमान खसरा संख्या 393/12 रकबा 21 बीघा 07 बिस्वा जो सिवायचक है में दर्ज होकर उपरोक्त भूमि के बाबत् तहसीलदार किशनगढ़ को निम्न रिपोर्ट प्रेषित की कि "महोदय, ना.सं. 230 दि. 30.08.1969 अनुसार बिशनदास पुत्र मोतीराम वैष्णव सा. सरगांव के नाम ख.नं. 539/1 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा बंजर ॥ व 522/1 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा अलाटमेन्ट गैर खातेदारी माफिक लिस्ट व कब्जा–काश्त के अनुसार नामान्तकरण स्वीकार किया गया है व ख.नं. 522/1 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा की भूमि तो अलाटी के नाम दर्ज रेकार्ड हो चुकी है। पर ख.नं. 539/1 रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा हाल ख.नं. 393/12 की भूमि अलाटी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हो पाई है। जमाबन्दी परिवर्तनशील पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अब शेष भूमि वर्तमान ख.नं. सं. 2027 व 393/12 में से अलाटी के नाम गैर खातेदार में दर्ज किया जा सकता है।" प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 7 में वर्णित रिपोर्ट के उपरान्त भी उपरोक्त प्रार्थीगण के पिता को 56 वर्ष पूर्व आवंटित भूमि जिसके आवंटन का इन्द्राज नामान्तरण संख्या 230 दिनांक 30.08.1969 को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया था एवं नामान्तरण संख्या 230 दिनांक 30.08.1969 में से खसरा संख्या 522/1 का नामान्तरण प्रार्थीगण के कुटुम्बजन के नाम अमल दरामद किया गया। किन्तु उपरोक्त खसरा संख्या 539/1 का नामान्तरण दर्ज होते हुये भी पुनः सिवायचक दर्ज की गई। जबकि प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी उपरोक्त आवंटन आदेश के अनुक्रम में अलाटी के साथ–साथ गैर खातेदारी एवं गैर खातेदारी के पश्चात् खातेदारी अधिकार प्राप्त करने अधिकारी हो चुके हैं। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 का उपरोक्त भूमि में कोई हित अधिकार नहीं है, किन्तु उपरोक्त अप्रार्थीगण ग्राम सरगांव में एक विशेष जाति के होकर एवं ग्राम सरगांव में उक्त जाति विशेष का बाहुल्य होने से प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर जबरन अनाधिकृत रूप से आधिपत्य कर प्रार्थीगण को बलात बेदखल करना चाहते हैं। इस हेतु अप्रार्थीगण द्वारा समय–समय पर प्रार्थीगण के कब्जे, काश्त में बाधा की जाती रही है एवं प्रार्थीगण को बलात बेदखल करना चाहते हैं, जिसका अप्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 ने दिनांक 20.06.2025 को प्रार्थीगण जब उपरोक्त भूमि पर काश्त कर रहे थे तो एक समूह बनाकर अवैध अनाधिकृत रूप से प्रार्थीगण की भूमि पर आकर जबरन कब्जा किये जाने का प्रयास किया। जो प्रार्थीगण के प्रतिरोध पर अप्रार्थीगण अपने अविधिक उद्देश्य में सफल नहीं हो सके। प्रथम दृष्टया पक्ष, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूतर्नीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी को ग्राम सरगांव की खसरा संख्या 393/12 रकबा 21 बीघा 07 बिस्वा में से 12 बीघा 05 बिस्वा जिसके पुराने खसरा संख्या 539/1 थे आवंटनशुदा है एवं उपरोक्त भूमि का नामान्तरण संख्या 230 दिनांक 30.08.1969 को प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी के नाम दर्ज किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 10 के कार्यालय की दिनांक 06.08.2020 की रिपोर्ट से उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी की सिफारिश की गई थी एवं प्रार्थीगण खातेदारी अधिकार प्राप्ति के अधिकारी हो चुके हैं। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 को प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी के नाम आवंटित भूमि में कोई हित, अधिकार नहीं रहता है। यदि अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह प्रार्थीगण के कब्जे काश्त किसी प्रकार से बाधा नहीं करें, प्रार्थीगण को बलात बेदखल नहीं करें तो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 को किसी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं होगी। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 का उपरोक्त भूमि में कोई हित, अधिकार नहीं है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 उपरोक्त अविधिक आधार पर प्रार्थीगण को उसके अचल सम्पत्ति, अधिकार श्रेणी की सम्पत्ति से बलात बेदखल करें देंगे जिससे कई विवादो का जन्म

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

गा। अतः प्रथम दृष्टया पक्ष, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय के तीनों पहलू प्रार्थीगण के पक्ष में हैं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह, उनके ऐजेन्ट, प्रतिनिधि, हितबद्ध ग्राम सरगांव के वर्तमान खसरा संख्या 393/12 रकबा 3.4544 हैक्टेयर में से 12 बीघा 05 बिस्वा अर्थात् 1.9820 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त, उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार से बाधा नहीं करें तथा प्रार्थीगण को बलात बेदखल नहीं करें, प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी को आवंटित भूमि को किसी भी रूप से खुर्द बुर्द क्षतिग्रस्त नहीं करें एवं अनार्थी संख्या 10 उपरोक्त भूमि के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.07.2025 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई। दिनांक 03.02.2026 तक भी बावजूद तामिली के अप्रार्थी संख्या 01 से 10 अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई।

दिनांक 03.02.2026 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। हमारे द्वारा धारा 212 राज.का.अधि. के प्रार्थना पत्र का तीन बिन्दुओं पर विवेचन किया गया।

प्रथम दृष्टया प्रकरणः— वादअधीन भूमि में प्रार्थी वर्तमान में खातेदार नहीं है ना ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी के द्वारा पेश किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया वादअधीन भूमि में उनका हक जाहिर हो, जबकि वादअधीन भूमि राजकीय भूमि दर्ज है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।

सुविधा का संतुलनः— वादअधीन भूमि में प्रार्थी की खातेदारी दर्ज नहीं है, वादअधीन भूमि वर्तमान में राजकीय भूमि दर्ज है जिससे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है।

अपूरणीय क्षतिः— अप्रार्थीगण वादअधीन भूमि में खातेदार नहीं है वादअधीन भूमि राजकीय भूमि दर्ज है जो कि अप्रार्थी संख्या 10 के नाम दर्ज है, अपूरणिय क्षति अप्रार्थी का कारित है।

प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणिय क्षति को सिद्ध करने में असफल रहें है अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अन्य बिन्दु वाद विचारण के दौरान तनकीवार विवेचन,साक्ष्य एवं सुनवाई से तय किये जायेगें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 03.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

रजत यादव (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)